कुड़ुख़ भाषा संस्कृति परम्परा ग्रामसभा विषयक तीन दिवसीय कार्यशाला

तीन दिवसीय कुड़ुख़ भाषा संस्कृति परम्परा ग्राम सभा विषयक कार्यशाला

स्थान – कुड़ुख़ भाषा संस्कृतिक पुनरूत्थान केन्द्र, बम्हनी, गुमला

दिनांक – 21.02.2025 से 23.02.2025 को कुड़ुख़ (उरॉव) समाज के लोगों के बीच में कुड़ुख़ भाषा संस्कृति परंपरा, ग्राम सभा विषयक कार्यशाला सम्पन्न हुआ। यह कार्यशाला टाटा स्टील फाउण्डेशन के सैजन्य से आयोजित हुआ। इस कार्यशाला का आयोजन, कुड़ुख़ भाषा संस्कृतिक पुनरुत्थान केन्द्र बम्हनी, गुमला तथा अद्दी कुड़ुख़ चाला धुमकुड़िया पड़हा अखड़ा, रॉची के संयुक्त संयोजन में किया गया। कार्यशाला का प्रथम दिवस दिनांक 21.02.2025 को दूर–दराज से आए उरॉव समाज के लोगों द्वारा कार्यक्रम में परिचर्चा का विषय निर्धारित किया गया। ग्राम वासियों ने ज्वलंत सामाजिक समस्याओं पर प्रकाश डालते हुए परिचर्चा करने के लिए विषय चुना। कार्यशाला के दूसरे दिन दिनांक – 22.02.2025 को सर्वप्रथम प्रतिभागियों को – (क) सिनगी दई (ख) कईली दई (ग) चम्पु दई (घ) मंगरी दई अर्थात 04 समूह में विभक्त कर संयुक्त चर्चा के लिए विषय दिया गया। उक्त विषय पर उपस्थित प्रतिभागियों ने सामाजिक परिस्थिति के अनुसार भाषा लिपि एवं संस्कृति को बचाने के लिए अपने विचार रखे, जो इस प्रकार है –

(क) कईली दई खोंड़हा को दिया गया प्रश्न – – कुँड़ुख भाषा लिपि, संस्कृति एवं समाज कैसे बचेगा ?

समूह द्वारा तैयार उत्तर का सारांश – कुड़ुख भाषा बचाने हेतु निम्नलिखित उपाय करने होंगे –

1. अपने घर में, गाँव में, समाज में कुड़ुख भाषा में ही बात–चीत करना होगा।

2. धुमकुड़िया, अखड़ा एवं किसी भी बैठक सभा में कुड़ुख भाषा से ही बोलना होगा।

3. आंगनवाड़ी से हाई स्कुल तक कुँड़ुख भाषा की पढ़ाई अनिवार्य करना चाहिए।

4. कुड़ुख भाषा को आंठवी अनुसूची में शामिल कराना पड़ेगा।

5. लिपि बचाने हेतू, निचले स्तर से ऊपर स्तर तक तोलोङ सिकि लिपि की पढ़ाई कराना होगा।

6. समाज को बचाने के लिए, कुँड़ुख भाषा को बचाना होगा।

7. रूढ़ीवादी परम्पारिक व्यवस्था को बचाना होगा तथा पड़हा व्यवस्था को बचाना होगा।

8. सभी को संगठित करना होगा।

9. संस्कृति बचाने के लिए जोंख अरा पेल्लो कोटवार और मुखी जोंख़–पेल्लो अगुवा तैयार करना होगा।

10. गाँव–गाँव में धुमकुड़िया का निर्माण करना एवं कराना होगा।

11. संस्कृति बचाने हेतू – अखड़ा के साथ नाच–गान, पहनावा, वाद्य यंत्र ढोल, नगाड़ा, मान्दर इत्यादि बचाना होगा।

12. परब त्योहार एंव जतरा, सेन्दरा और बारह महीना तेरह राग को जानना होगा।

(ख) कईली दई खोंड़हा को दिया गया प्रश्न – कुँड़ुख भाषा लिपि, संस्कृति एवं समाज कैसे बचेगा ?

इस समूह का उत्तर – कुड़ुख भाषा बचाने हेतु निम्नलिखित उपाय करने होंगे –

1. प्रत्येक गाँव समाज में कुड़ुख में कुड़ुख भाषा की पढाई होना जरूरी है।

2. गाँव समाज में कुड़ुख भाषा बोलना अनिवार्य है।

3. प्रत्येक गाँव में बच्चो को धुमकुड़िया में कुड़ुख भाषा संस्कृति लिपि में पढ़ाई लिखाई कराना जरूरी है।

4. गाँव समाज में जागरूकता होना जरूरी है।

5. छोटे बड़े एंव बुजूर्गो के साथ कुड़ुख में बात चीत करना जरूरी है।

6. पंरम्परिक कुड़ुख समाज में पड़हा व्यवस्था को सुव्यवस्थित करना अनिवार्य है।

7. प्रत्येक कुड़ुख समाज के अखड़ा में परम्पारिक कुड़ुख भाषा के साथ, नाचगान होना जरूरी है।

8. प्रत्येक गाँव में कुडुख भाषा के लिए एक अगुवा होना बहुत जरूरी है।

9. बारह महीना में तेरह राग कुडुख भाषा में होना जरूरी है।

(ग) चम्पु दई खोंड़हा को दिया गया प्रश्न – कुँडुख भाषा लिपि, संस्कृति एवं समाज कैसे बचेगा ?

इस समूह का उत्तर – कुडुख भाषा बचाने हेतु निम्नलिखित उपाय करने होंगे –

1. अपने कुडुख भाषा अपने परिवार में बोलना है और प्रयोग भी करना है और समाजिक बैठक में कुडुख से ही बात करना है। कम या अधिक बोलने से ही भाषा का महत्व बढ़ेगा एंव लोग समझने लगेंगे।

2. भाषा को विलुप्त होता देखकर के कुडुख भाषा को बचाने के लिए हमलोग स्कुल एंव कार्यशाला चलाने का काम करेंगे और छोटे बच्चे को पढ़ाने का काम करेंगे।

3. जब एक मां गर्भवती हो जाती है उसी समय पेट में पलने वाला बच्चा सुनने एंव परखने में रहता है और जब बच्चा जन्म लेने के बाद बच्चा अपने माता एंव पिता के साथ पॉच साल तक अपने कूडुख भाषा का प्रयोग करने से बच्चे भी भाषा को बोलने एंव समझने में बच्चे सक्षम हो जांएगे। अपने बच्चे के पास कुडुख भाषा का ही प्रयोग करें।

4. आदिवासी कुडुख भाषा एंव समाज में जब आसाढ़–सावन का महिना में धान का विड़ा किया जाता है और सावन–भादो का महिना में उस बिड़ा को उखाड़ कर खेत को कादो करके रोपा रोपते है। रोपने के बाद अपने घर में डण्डा कट्टना करते है उसको सुधी करने के लिए डण्डा कट्टना करना आवश्यक है ।

5. सभी गॉव में जहॉ आदिवासी रहते हैं उस गॉव के सभी आदिवासी परिवार को जागरूक करते हुए बैठक कर अपने कुडुख शिक्षा के बारे में बताएगें और इसके महत्व को सभी को समझाने का प्रयास करेंगे। इन सभी विषयों पर चर्चा करने का अति आवश्यक है।

6. कुडुख़ संस्कृति रिति रिवाज को बचाने के लिए पूर्वजों के बताए गए रास्ते पर चलना होगा जैसेः–

* अखड़ा – अखड़ा में अपने पूर्वजों का गाना को गाना चाहिए और हमारे संस्कृति में 12 महीना में 13 राग होता है उसको सिखना चाहिए।

* धुमकुड़िया – हमारे हर गॉव में एक एक धुमकुड़िया होना चाहिए ताकि भाषा और लिपि में पढ़ाई हो सके जिसे हर व्यक्ति इसकी लाभ ले सकेंगे। धुमकुड़िया में कुडुख शिक्षक सरकार व्यवस्था नहीं कर पाती है तो हमें गॉवों के ग्रामीण इसको निर्णय करके इसको पढ़ाने के लिए चयनित कर के सहयोग करेंगे।

* मातृभाषा शिक्षा – प्रत्येक घर परिवार के लोगों को अपने घर में कुडुख भाषा का प्रयोग करें।

साथ ही –

(क) समाज को बचाने के लिए – कुँडुख भाषा को बचाना होगा।

(ख) रूढ़ी वादी परम्परिक व्यवस्था को बचाना होगा।

(ग) समाज को बचाने के लिए पड़हा व्यवस्था को बचाना होगा।

(घ) सभी को संगठित करना होगा।

(ङ) संस्कृति बचाने के लिए जोंख अरा पेल्लो कोटवार अथवा अगुवा तैयार करें।

7. गाँव–गाँव में धुमकुड़िया का निर्माण हो।

8. संस्कृति बचाने हेतू – अखड़ा के साथ नाच गान, पहनावा, वाद्य यंत्र ढोल नागाड़ा मान्दर इत्यादि को बचाना होगा।

9. परब त्योहार एंव जतरा, सेन्दरा और बारह महीना तेरह राग को जानना होगा।

(घ) मंगरी दई खोंड़हा को दिया गया प्रश्न – कुँडुख भाषा लिपि, संस्कृति एवं समाज कैसे बचेगा ?

इस समूह का उत्तर – कुडुख भाषा बचाने हेतु निम्नलिखित उपाय करने होंगे –

1. कुँडुख़–भाषा अरा लिपिन बछाबआ गे मुन्ध नु तगंआ ती ओर ननना चाहि। कुँडुख़–भाषा लिपि सिखिरआ अरा सिखाबआ गे चिहुँट मन्ना चाहि। अदि खोखा एड़पा, धुमकुड़िया, लुरकुड़िया, आगंनबाड़ी हुरमी गुसन ओर मनना रई।

2. कुँडुख़–भाषा बछाबआ गे धुमकुड़िया ,पद्दा–पद्दा मनना चहि। धुमकुड़िया चलाबआ गे ओन्टा शिक्षक अरा शिक्षक गारिन प्रशिक्षण ननना गे ओन्टा प्रशिक्षण केन्द्र हुरमी पड़हा नु मनना चहि।

3. भाषा लिपि बछाबआ गे तंगआ ती और मन्ना चाहि।

4. तोलोंग सिकि लिपि सिखिरआ दरा सिखाबअना ही चिहुँट मन्ना चाहि।

5. अयंग–बंगन कुँडुख़ भखन अम्बर मल कच्छनखरना चहि। खलि कुँडुख़ भखन कच्छनखरना चहि।

6. नाम एकसआ नुम कालोत या रओत असन कुँडुख़ भखन दिम कच्छनखरना रई।

7. पद्दा–पद्दा नु धुमकुड़िया मन्ना चहि।

8. धुमकुड़ियन सरकार ती मदईत ननना गे बअ़ना मनो।

9. धुमकुड़िया नु भाषा लिपि ही संगे–संगे संस्कृति हुँ सिखाबअना रई। अदी खोखा

शिक्षक गारिन खोड़हा गे इजना मनो।

10. कुॅडुख़–भाखा अयंग–बंग ती ओर मनना चहि।

11. भाखा लिपि बछाबआ गे अयंग–बंगन एड़पा गईनका पईरी पुत्तबारी कच्छनखरना मनो। पद्दा नु धुमकुड़िया कमअर खद्दारिन टुड़ना–बचना, संस्कृति उरमिन परदअ़ना दरकार रअ़ई।

12. कुॅडुख भाखा तंगआ–भखा तिम कच्छनखरना रई।

13. कुॅडुख़ कत्था अरा तोलोङ लिपि पढ़ताअना मनो। तोलोङ लिपि स्कूल, कॉलेज नु मन्ना चहि अरा पद्दा नु धुमकुड़िया अरा आंगनबाड़ी केन्द्र नु हुॅ तोलोङ लिपि बचताअना मनो।

14. 2020 नई शिक्षा नीति ही माध्यम ती सरकार हुॅ तंगआ भखा बचआ गे बआ लगी। खोड़हन बछाबआ गे खोड़हा ता आलर एकअम नन्ना डहरे केरका रअनर आरिन खोयंड़ना मनो अरा पद्दा नुम अदिन या खोड़हा नुम निवई चिअ़ना मनो।

दिनांक – 23.02.2025 को पुनः प्रतिभागियों का 04 समूह बना और इनमें से सभी समूह को अलग–अलग सामाजिक समस्याओं के आधारित प्रश्न दिए गए और उसका समाधान सामाजिक तरीके से करने के लिए कहा गया।

चारों समूह को विवाद निपटारा करने के लिए निम्नांकित सामाजिक समस्याओं से संबंधित प्रश्न दिये गये –

1. अमर शहीद वीर बुधु भगत खोंड़हा –

विवाद एवं शिकायत – करकरी गाँव में मंगरा उरांव और बिरसा उरांव एक ही माता–पिता के दोनों भाई हैं और दोनों भाई में पुस्तैनी जमीन का आपसी बॅटवारा का विवाद हुआ। उनमें से छोटे भाई बिरसा का कहना है कि दोनों भाई को हाड़–मास बराबर मिलना चाहिए। बड़ा भाई अपने लिए अधिक लिया है। छोटा भाई के साथ न्याय नहीं किया है। पंच भाई इस विषय पर न्याय करें।

2. जतरा टाना भगत खोड़हा –

विवाद एवं शिकायत – गांव में दो अलग परिवार एतवा लकड़ा और सोमरा बड़ा सैंन्दा गांव का बसिन्दा हैं। एतवा लकड़स किस्स पोसका रअदस। आ किस्स सोमरा बड़ा गही अलुवा खिती नु कोर्रचा अरा मोक्खा। खने सोमरस कुदा बअनुम ओन्दरस की तंगहय एड़पा मंक्खियस दरा लवचस की पिटयस। खने एतवस पंच्च ओक्कताचस का सोमरस एड़पा मंक्खर की एन्देर गे लवचस। आस गुनहा नंञ्जस । पंच इदी गही निवई चिआ।

3. पंखराज साहेब कार्तिक उरांव खोंड़हा –

विवाद एवं शिकायत –भाँःड़ो पददा नु बुधवा उरांव नामे ही ओरोत जोंःखस गही बेंज्जा मंज्जा अरा ओन्टे मइय्याँ खदद हूँ मंज्जा। अदी खोःख़ा जोंःख़स तंग आलिन एड़पा ती खेदचस। एन निग्गंन अक्कु मल उइयोन। आर एंड़ो बेकइत लग्गा नक्खरर। तले तंग आःली पंच्चर गुसन केरा दरा नेवई ननाा गे गोहराःरा।

4. परमवीर अल्वर्ट एक्का खोंड़हा –

विवाद एवं शिकायत – बिरया उरांव और बिरजिनियॉ कुजूर दोनों कालेज में पढ़ाई– लिखाई किया और दोनों सिसई प्रखण्ड में सरकारी नौकरी करते हैं। वे दोनों में कोर्ट शादी किए। अक्कु आर समाज नु ओक्का–इजआ गे कुंकुम ओक्कतआ बेददनर। आर गही ओन्टा खददस मंज्जस अक्कु आर गही कत्धन खोड़हा एका बेसे ननों। पंच भइय्योर नेवई चिआ।

उपरोक्त समूह के लोगों ने सरमाजिक परम्परा के अनूसार अपने समूह को मिले प्रश्नों का उत्तर दियाख जो इस प्रकार है –

1. अमर शहीद वीर बुधू भगत खोड़हा द्वारा परिवाद चर्चा एवं निर्णय –

परिवाद चर्चा एवं निर्णय – – करकरी गाँव में मंगरा उरांव और बिरसा उरांव एक ही माता–पिता के दोनों भाई हैं और दोनों भाई में पुस्तैनी जमीन का आपसी बॅटवारा का विवाद हुआ। उनमें से छोटे भाई बिरसा का कहना है कि दोनों भाई को हाड़–मास बराबर मिलना चाहिए। बड़ा भाई अपने लिए अधिक लिया है। छोटा भाई के साथ न्याय नहीं किया है। पंच भाई इस विषय पर न्याय करें।

करकरी गाँव में मंगरा उरांव और बिरसा उरांव एक ही माता–पिता के दो संतान हैं। दोनों भाई में आपसी बॅटवारा का विवाद है। झोटा भाई बिरसा का कहना है कि दोनों भाई को हाड़–मास बराबर मिलना चाहिए। बड़ा भाई अपने लिए अधिक खेत लिया लिया है। छोटा भाई के साथ न्याय नहीं किया है।

1. हमलोग सभी जानते हैं कि सैंवधानिक तथा रूढ़ी–प्रथा दोनों ही कानून व्यवस्था में भाई–भाई का बापुती जमीन या संम्पति का हिस्सा बराबर–बराबर बटवारा करने का प्रावधान है।

2. दोनों भाइयों में अपने पिता का संम्पति का बटवारा।

(क) दो भाइयों के बटवारा में छोटे को हिस्सा कम अपने बड़े भाई के द्वारा जादा हिसा लेने पर छोटा भाई ने ग्राम प्रधान के पास न्याय कराने के लिए सुचना दिया। तथा पहान के पास सुचना मिलने के बाद वे अपने भण्डारी, तथा सभी अपने प्रतीनिधि को अखड़ा

धुमकुड़िया मे भण्डारी से डुगडुगी वजवा कर बैठक किया गया। जिसमें दोनों भाइयों को जमीन को बराबर बॉटा गया तथा ग्राम सभा रजिस्टर में सभी के हस्ताक्षर कराकर 5 रू का रेभनु टिकट साटा गया फीर भी छोटा भाई को संतुष्टि नहीं मिली। तो पड़हा पंच्चा बेल को चिट्ठी दिया कि जमीन का बराबरी बटवारा किया जाए। पंचा पाड़हा बेल पदा पंच का निर्णय को देखते हुए। उसी पर निर्णय दे दिया।

पड़हा पंच्चा –

(ख) छोटा भाई द्वारा बेल पंचा नौ वेल को जमीन बटवारा के लिए चिट्ठी दिया बेल द्वारा सभी नौ बेलों को समय देकर बुलाया और बैठक किया। जिसमे बेल अवयक्ष द्वारा बैठक को संचालित किया जिसमें निर्णय लिया कि पूर्व का ग्राम सभा रजिस्टर एवं पाड़हा के बैठक से निर्णय नयक रजिस्टर को मंगाकर देखा और पूर्व का फैसला को निर्णय मान लिया।

फिर भी छोटा भाई को संतुष्ट नहीं हुआ। छोटे भाई द्वारा विसुसेन्दरा में चिठ्ठी दिया। जब बिसुसेन्दरा अपने सयय पंचा एवं बेल पंचा का आदेष को मंगवाया और पूर्व का आदेश को देखते हुए बिसुसेन्दरा में भी ग्राम सभा का निर्णय को मान्यता दिया। उसके बाद अपीलकर्ता कर्ता को बिसुसेन्दरा में हिदायत दिया गया कि बिसुसेन्दरा का निर्णय को नहीं मानने पर समाज तुम्हारा बहिष्कार करेगा। और यदि बिसुसेन्दरा के निर्णय को भी नहीं मानने पर तथा समाज को तंग–भंग करने पर समाज के लोगों द्वारा सेन्दरा करने जैसा कठोर निर्णय लिया जा सकता है।

– 1. विजय दर्शन मिंज 2. लालू भगत 3. महावीर मुण्डा 4. गोयन्दा उराँव।

2. जतरा टाना भगत खोड़हा द्वारा परिवाद चर्चा एवं निर्णय –

परिवाद चर्चा एवं निर्णय – एतवा लकड़ा और सोमरा बड़ा का झगड़ा का निपटारा है कि अगर सोमरा का आलू को एतवा का सुअर खाया या बर्बाद किया तो सोमरा, एतवा को कहता, तुम्हारा सुअर आलू को खाया उसका हर्जाना देने के लिए बोलता या पंच्च बैठाता। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और अपने घर में घुसाकर मार दिया। इसलिए सोमरा दोसी है। साथ ही एतवा जब सुअर पालता है तो उसका देखरेख करना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसका सुअर किसी के खेती को नुकसान करे। इसलिए एतवा भी दोसी है।

इसलिए ग्रामसभा दोनों को दोसी मानते हुए एतवा से पंचखर्चा 150/रू तथा सोमरा से सुअर का दाम सहित 500/रू जुर्माना भरने का निर्णय सुनाया। तथा दोनों को हिदायत दिया गया कि वे आगे इस तरह का गलती नहीं करें। अंत में सभा में उपस्थित पंचगण का हस्ताक्षर एवं ठेपा निशान लिया गया।

प्रथम पत्र का हस्ताक्षर द्वितीय पत्र का हस्ताक्षर

1.मन्ती उरॉव 2. बिरसो कुमारी उरॉव 3. बिमला मिंज 4. बुद्धेश्वर उरॉव 5. महेश उरॉव 6. जयराम उरॉव 7. बुद्धदेव उरॉव 8. भिखनी मिंज 9. सरोज उरॉव।

3. पंखराज कार्तिक उरांव खोड़हा द्वारा परिवाद चर्चा एवं निर्णय – परिवाद चर्चा एवं निर्णय – भाँःड़ो पददा नु बुधवा उरांव नामे ही ओरोत जोंःख़स गही बेंज्जा मंज्जा अरा ओन्टे मइय्याँ खदद हूँ मंज्जा। अदी खोःख़ा जोंःख़स तंग आलिन एड़पा ती खेदचस। एन निग्गंन अक्कु मल उइयोन। आर एंड़ो बेकइत लग्गा नक्खरर। तले तंग आःली पंच्चर गुसन केरा दरा नेवई ननना गे बाःचा पंच नेवई चिआ।

इस विषय पर चर्चा इस प्रकार हुआ –

(1) शिकायत करता के अनुसार – प्रथम पक्ष से शिकायत आता है, तो सबसे पहले दोनों पक्ष के व्यक्ति को बुलाएंगे और दोनों पक्ष की बातों को सुन समझ कर समझाने का प्रयास करेंगें।

(2) द्वितीय पक्ष नहीं समझता है, तो ग्राम सभा में इस समस्या (केस) को ले जाने हेतु रजिस्टर में पंजीकृत करेंगे।

(3) इस समस्या (केस) से सम्बंधित लड़का पक्ष एवं लड़की पक्ष दोनों पक्षों को ग्राम सभा में नोटिस देकर लिखित रूप में ग्राम सभा में बुलाकर फैसला करेंगे।

(4) ग्राम सभा में पंचों के द्वारा बोला गया कि लड़का का घर में, आप लड़की को सामाजिक तौर तरीका से शादी कर के लाए हैं और उससे एक बेटी का भी जन्म हुआ है। इस लिए बच्ची एवं पत्नी की जिन्दगी को देखते हुए, पति–पत्नी की रिश्ता को निभाना होगा। क्योंकि शादी परंपरागत रूप से एक बार होता है, और जिन्दगी भर निभाना पड़ता हैं। इस के बावजूद नहीं समझने पर ग्राम सभा की तरफ से पंचों के द्वारा लड़का को बोला गया कि लड़की को नहीं रखता है, तो लड़की एवं उनकी बेटी के जीवन–यापन के लिए खोर पोस देना होगा।

पड़हा का कारवाई –

लड़का ग्राम सभा का फैसला को नहीं मानता है, तो ग्राम सभा इस केस को 9 पड़हा में भेज दिया। भरनो गांव 5 पड़हा में है इसलिए इस केस को 9 पड़हा अपने रजिस्टर में शिकायत दर्ज किया। उसके बाद 5 पड़हा बेल भरनो इस केस के सुनवाई के लिए सभी पड़हा गांव के सदस्यों को नोटिस देकर दोनों पक्ष को बुलाया गया। पड़हा पंच्चा में लड़का को बोला गया कि

तुम्हारी पत्नी और बच्चा तुम्हारी जिम्मेदारी है। यदि इनको छोड़ना है तो इनके ख़ोसपोस के लिए जमीन देनी होगा। और यदि तुम पड़हा का निर्णय नहीं मानोगे तो तुम्हारा पड़हा बहिष्कार तथा हुक्का पानी बन्द होगा। तुम्हारे परिवार के जन्म, मृत्यु, शादी–विवाह एवं सामाजिक कार्यों में किसी प्रकार का कोई सहयोग नही करेंगे।

पड़हा का फैसला को नहीं मानकर लड़का इस मामले को बेल पंच्चा में ले गया। बेल पंच्चा में 5 पड़हा बेल बैठे और ग्रामसभा तथा पड़हा पंच्चा का निर्णय को समीक्षा किया गया और कहा गया ग्रामसभा और पड़हा का निर्णय सही है। हमलोग बिसुसेन्दरा का पंच है। इसलिए तुमको समझा रहे हैं, कि समाज में रहना है, तो सामाजिक रीति– रिवाज एवं परंपरा को सामाजिक तौर पर नियम संगत मानना होगा। अगर आप नहीं समझते है, तो इस केष को बिसुसेन्दरा में ले जा सकते हो। पर वहां के निर्णय को नहीं मानोगे तो तुमको आर्थिक दण्ड एवं सामाजिक दंड दोनों के भागी बनोगे।

पंचगण का हस्ताक्षर – . मुकेश उरांव, भरनो – 9955331746 2. मनोहर उरांव, आताकोरा – 6204076648 3. बिरसा उरांव, मरासिली – 6203373789 4. लधुवा उरांव, भरनो – 9234940208 5. मंगरा उरांव ष्बटकोरी – 6204728092 6. सरोज लकड़ा, कुदरा – 9523408044 7. जुगेश उरांव, सैंदा – 7033627580 8. विक्रम उरांव, लावागाई चौगरी – 6205774120.

4. परमवीर अल्वर्ट एक्का खोंड़हा द्वारा परिवाद चर्चा एवं निर्णय –

परिवाद चर्चा एवं निर्णय – बिरया और बिरजिनियॉ दोनों पढ़ाई–लिखाई किया और कोर्ट शादी किया। दोनों सिसई प्रखण्ड में सरकारी नौकरी में हैं। अक्कु आर समाज नु ओक्का–इजआ गे कुंकुम ओक्कतआ बेददनर। आर गही ओन्टा खददस मंज्जास अक्कु आर गही कत्धन खोड़हा एका बेसे ननों। पंच नेवई चिआ।

बिरया और बिरजिनियॉ एःड़ों झना कोर्ट नू बेञ्जा मंज्जा। बेञ्जा मञ्जका ख़ोःख़ा ओन्टा खद्दस मञ्जस। अक्कु खोड़हा नू ओक्का इजआ गे कुटुम ओक्तआ बेददानर। अक्कु आर गहि कत्थन खोड़हा एका बेसे ननो।

परिवाद चर्चा एवं निर्णय – बिरया उरांव, धर्म सरना और बिरजिनियॉ कुजूर, धर्म इसाई, आर गही खोड़हा ती बाहरी कोर्ट नू बेञ्जा मञ्जा आंवगे खोड़हा आर गने ओक्का इजआ मल ननालगी। पंच भईयर गही बअना हिके का –

1. समाज संरचना के पुण्यकाल में हमारे दूरदर्शी दिव्यदृष्टि प्राप्त पूर्वजों ने अपनी परपंरागत स्वाभाविक विचार, प्रवाह एवं विधि व्यवस्था के अनुसार उरांव समाज संस्कृति और धर्म आधारित

जीवन पद्धति का निर्माण किया था, उस सुन्दर जीवन पद्धति के अनुसार बिरया और बिरजिनियॉ का विवाह समाज को स्वीकार नहीं होना चाहिए। बिरया और बिरजिनियाँ का कोर्ट शादी अस्वीकृत करते हुए परंपरागत स्वाभाविक विचार प्रवाह एवं विधि – व्यवस्था के अनुसार विवाह संपन्न करना होगा।

2. बिरया और अिरजिनियॉ कोर्ट में शादी किया है और समाज में आना चाहता है तो हम हमारे समाज का जो भी रीति–रिवाज है उस रीति–रिवाज के साथ हमारे समाज में शादी के लिए सक्षम होता है तो समाज इस तरह निर्णय लिया जा सकता है। और उनको समाज मे उठने बैठने में षामिल हो सकते है।

3. बिरया एवं बिरजिनियॉ का का विवाह कोर्ट में हुई, जो हमारे गांव वालों के सामने नहीं हुई। गॉव वाले इस विवाह को अपने स्तर से नहीं मानते हैं। यदि वे अपने इच्छा से कुटुम खिलाना चाहते हैं तो पहले उन लोगों को खोड़हा का नेग से विवाह करना होगा एवं उसके बाद विवाह भोजन खिलाना पड़ेगा। इसके बाद खोड़हा का नेग नियम में शामिल हो सकते हैं।

4. कुडुख़ समाज पारम्परिक बेञ्जा ही मने र'ई। मुन्दा निम्हय बेञ्जा खोड़हा ने ओक्का इजआ गे कुडुख खोड़हा ही नेग पूजा पाठ अरा सोड़ा मण्डी ओन्तओर होले कुटुम नु ओक्का इजआ गे ख़खरई – सजा मनी का अयंग बंग ही बेंञ्जा बारी होरमर एरनर होले ख़द्दर आरिन खचा ती नूड़नर।

सभा के पंचगण का हस्ताक्षर – 1. बिरेन्द्र उराँव 2. रमेश उराँव 3. बुधराम उराँव 4. गिदा उराँव 5. मटकु उराँव 6. प्रमोद उराँव 7. एतवा उराँव 8. रामा उराँव।

कुडुख़ भाषा संस्कृति परम्परा ग्रामसभा विषयक तीन दिवसीय कार्यशाला का निष्कर्ष एवं निर्णय –

दिनांक 21 फरवरी से 23 फरवरी 2025 तक हुए इस कार्यशाला में उपस्थित प्रतिभागियों ने वर्तमान सामाजिक परिस्थिति के अनुसार भाषा, संस्कृति, लिपि, समाज आदि को बचाने के लिए अलग–अलग विषय पर परिचर्चा किए और कार्यशाला के अंतिम पड़ाव पर समीक्षोपरांत संयुक्त रूप से निम्नलिखित निष्कर्ष एवं निर्णय सभा के समक्ष पढ़कर सुनाया गया, वह इस प्रकार है –

1. सामाजिक पुस्तैनी धरोहर कुड़ुख़ भाषा एवं संस्कृति को बचाना होगा। भाषा बचेगी, तभी संस्कृति बचेगी और भाषा तभी बचेगी जब उस भाषा की पढ़ाई–लिखाई स्कूलों में होगी तथा रोजगार से जुड़ेगी।

2. उराँव समाज में ग्रामसभा, पड़हा एवं बिसुसेन्दरा को पुर्नस्थापित किया जाए।

3. गॉव स्तर पर धुमकुड़िया को पुर्नस्थापित किया जाए और वहॉ कुड़ुख़ भाषा एवं तोलोंग सिकि लिपि की आरंभिक पढ़ाई कराया जाए तथा हिन्दी–अंगरेजी विषयक आरंभिक पाठशाला के रूप में विकसित किया जाए।

4. उरॉव बहुल क्षेत्रों में कुड़ुख़ भाषा की पढ़ाई प्राथमिक स्कूल से करायी जाए। सरकार इसमें मदद करे।

5. अपने मैखिक गीत–संगीत एवं कहानियों को संकलित एवं संरक्षित किया जाए।

6. ग्रामीण स्तर पर सप्ताह में एक दिन, कुड़ुख़ कत्था उल्ला (कुड़ुख़ भाषा दिवस /Kurukh Day) रखा जाए एवं प्रयास हो कि दैनिक कार्य, कुड़ुख़ में ही हो।

7. कुड़ुख़ भाषी क्षेत्र में आंगनबाड़ी के साथ–साथ धुमकुड़िया को जागृत किया जाए तथा धुमकुड़िया को सरकारी मदद के लिए मांगपत्र रखा जाए।

8. वर्तमान समय के धुमकुड़िया में समाचार पत्र, रेडियो, टेलिविजन एवं कम्प्यूटर की व्यवस्था हो, तो शहर एवं गांव की शिक्षा व्यवस्था में दूरी कम होगी।

9. परम्परागत विवाह (बेंज्जा) एवं विवाह विच्छेद (बेंज्जा बिउड़ही) विषय पर चर्चा हुई और निर्णय हुआ कि बेंज्जा बिउड़ही के लिए बिहउड़ी के साथ डली किरताअ़ना किया जाना आवश्यक है।

10. गांव की सभा की कार्यवाही को लिखा रजिस्टर में दर्ज किया जाय।

11. बेंज्जा (विवाह) के विषय में 05 (पांच) प्रकार का बेंज्जा को परम्परा के अन्तर्गत स्वीकार किया गया – (i) मड़वा कड़सा बेंज्जा (ii) सगई बेंज्जा (रँढ़िया/ रँढ़वा बेंज्जा अथवा विधवा/विधुर विवाह) बेंज्जा। (iii) अतख़ा पण्डी बेंज्जा (iv) ढुकु–ढरा बेंज्जा (सोहांगी काःना या ढुकू कोरना तथा ढुकू मंक्खना) (v) पूँप बेंज्जा (बेंजेरका अरा मल बेंजेरका संग्गे बेंज्जा)।

12. गॉव की समस्याओं को सुलझाने के लिए ग्राम सभा को माध्यम बनाया जाए। ग्रामसभा के निर्णय का अपील, पड़हा में होगा तथा पड़हा के निर्णय का अपील बेलपंच्चा में होगा।

13. उरांव समाज में बेलपंच्चा, अनेक पड़हा बेल का संगत सभा को कहा जाता है। इस तरह समाज में किसी मुद्दे का नैसर्गिक न्याय हेतु – पद्दा पंच्चा, पड़हा पंच्चा एवं बेःल पंच्चा

अर्थात त्रिस्तरीय स्वशासन व्यवस्था के आधार बनाया जाए।

14. परम्परागत उरांव समाज, राःजी बिसुसेन्दरा को सर्वोच्च सामाजिक परिषद मानती है। (Raaji Bisusendra is a Supreme Council of Traditional Oraon Society).

15. कुड़ुख़ भाषा संस्कृति परम्परा ग्राम सभा विषयक कार्यशाला द्वारा सर्व सहमति से उरांव सामाजिक स्वशासन न्याय प्रणाली के तहत घोषणा किया गया कि – ''परम्परागत उरांव समाज बेल पंच्चा व्यवस्था को बिसुसेन्दरा का नैसर्गिक जूरी ईकाई स्वीकार करती है (Be:l Panchcha is a Natural and Traditional JURY UNIT of Bisusendra).

इस तीन दिवसीय कार्यशाला में पूर्व निर्देशक, जनजातीय कल्याण शोध संस्थान, रांची डॉ० प्रकाश चन्द्र उरांव, लॉ कालेज के सहायक प्रोफेसर श्री रामचन्द्र उरांव, डा० नारायण भगत, डा० नारायण उरांव, अध्यक्ष अद्दी अखड़ा श्री सरन उरांव, पूर्व अध्यक्ष अद्दी अखड़ा श्री जिता उरांव, समाज सेवी श्री एल.एम. उरांव, श्री राणा चन्द्र उरांव, श्री अमर कुमार एक्का, श्री परमेश्वर भगत, प्रो० बलराम उरांव, श्री जितेश उरांव, डा. प्रेमचन्द उरांव, डा० श्रीमती मन्ती उरांव, पड़हा कोटवार श्री गजेन्द्र उरांव, भंड़ारी श्री मटकु उरांव तथा 50 ग्रामसभा के सदस्य उपस्थित थे। कार्यशाला के अंत में कार्यशाला संयोजन समिति के अध्यक्ष तथा परम्परागत 22 ग्रामसभा पड़हा पंच्चा के अध्यक्ष श्री जुब्बी उरांव की अनुमति से श्री तेतरू उरांव, सहा० प्रा०, के०ओ०कालेज, गुमला द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् और कार्यशाला समापन हुआ।

रिपोर्टर –

जुगेश्वर उरांव,

कुड़ुख़ भाषा शिक्षक, एजेरना बेड़ा प्रोजेक्ट,

झारखण्ड, दिनांक 23.02.2025.